

संख्या.11017/5/2013 सीमा प्रबंधन-III

ग्रह मंत्रालय

सीमा प्रबंधन प्रभाग-III


एन0डी0सी0सी0-II भवन,जय सिंह मार्ग,
नई दिल्ली दिनांक 03 अक्टूबर, 2013

बिषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री मनोज कुमार तिवारी का आवेदन ।

कृपया आपके पत्र दिनांक 3.09.2013 का अवलोकन करे जो हमें आर0टी0आई0 अनुभाग गृह मंत्रालय से दिनांक 25.09.2013 को प्राप्त हुआ था। जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप के द्वारा मांगी गई सूचना का संबंध है।

आपके आवेदन पत्र के द्वारा मांगी गयी सूचना उप सचिव (सीमा प्रभाग -III) के कार्यक्षेत्र के दायरे मे नही आती । अतः इसके अर्न्तगत आने वाली सूचना को शून्य माना जाय ।

इस मामले मे यदि कोई अपील हो तो एक माह के भीतर श्री संजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन), ग्रह मंत्रालय, एन0डी0सी0सी0-II भवन,जय सिंह मार्ग,नई दिल्ली -110001 के समक्ष की जा सकती है।



(Signature)
(अमित निर्मल)

उप सचिव (सीमा प्रभाग -III)
दूरभाष 23438151

सेवा में,

श्री मनोज कुमार तिवारी,

C/o श्री अभिन्यु तिवारी,

गावं -नेमचुनपारा,

पोस्ट व थाना- हल्दी,

जिला बलियां(उ0प्र0)

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 19/9/2013

कार्यालय आप्त

भारतीय नं०... 122
Px No... DS (BM-III)
24/9/13

DSE BM-III

2355/13/BM-III
26/9

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री मनोज कुमार तिवारी का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री मनोज कुमार तिवारी दिनांक 3/9/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक 9/9/2013 को प्राप्त) को वी.एस/आर.एस को अग्रणी कराने का निर्देश हुआ है, क्योंकि नांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रणी/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु का निर्धारित शुल्क दिनांक 16/9/2013 को रसीद सं. 26888 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

सु. शर्मा
(एस. साहय)

अवर सचिव, भारत सरकार

27/9

सेवा में

- (1) निदेशक (एस.आर.) गृह मंत्रालय, एन.डी. सी.सी.-II भवन, अयासह रोड, नई दिल्ली
- (2) निदेशक (बी.एस.) गृह मंत्रालय, एन.डी. सी.सी.-II भवन, अयासह रोड, नई दिल्ली
- (3) निदेशक (आर.एस.सी.) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री मनोज कुमार तिवारी
पं. श्री आशु मन्धु तिवारी, गांव नैमचुण्ड (Nemchunpoo)
पोस्ट मथाना नदवा
जिला बलिया (उत्तर प्रदेश)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

U.S. (BM-III)
24/9

श्री. ए.ए.ए.
24/9

09 SEP 2013
156

सेवा में
आदरणीय लोक रक्षणा पदाधिकारी
केन्द्रीय गृह-अंत्रालय, नई दिल्ली
भारत।

माननीय महोदय निवेदन सूचीक कदम है कि
प्रश्न ई.टी.ए. Act 2005 से संबंधित है उत्तर
स्पष्ट रूप से की कृपा करें।

SB55/41/2013
1909-13

भारत देश प्रजादी के बाद प्रजा तक
2013 तक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा
पाकिस्तान के नागरिकों द्वारा सीमा उल्लंघन,
पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा भारत पर हमले,
पाकिस्तानी द्वारा आतंकवादी हमले जैसे अदि,
असहिद, गिरिजाधर गुजराट में किले जाते हैं
इस तरह से कितने ऐसे आतंकवादी हैं जो
भारतीय जेल में बन्द हैं, उनको सजा हुई,
या जॉरनी की सजा हुई, एवं किस किस
जुर्म में, किस किस संरंकाए एवं राष्ट्रपति
कारागार में आतंकवादी पर पथरि शिक्का
कसा गया है, विस्तृत चौरा रूप से की कृपा
की जाय।

2. कितने भारतीय नागरिक सीमा उल्लंघन या अन्य
किस से दूसरा देशों के जेलों में बन्द हैं
कितने लोगों को प्रजा भारत सरकार ने रिहा
करवाया है विस्तृत बताए।

3. राष्ट्र विरोधी करने वाले कितने लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा
कानून से अंतर्गत जेलों में बन्द किया गया है
इनमें से कितने को सजा मिल चुकी है
विस्तृत बताए।

1. ... जेलों की संख्या कितनी

5. भारत के सभी विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी
सभी महिला महाविद्यालय में पुस्तक पिक 2 की
को व्यवस्था है। प्रगति नहीं है तो को
देश के सभी महिला महाविद्यालय में पुस्तक-
पिक 2 की व्यवस्था कर तक होगी, खास।

प्रश्न -

Mangy Kumar Tiwary
C/O Sri Abhimanya Tiwary
Village - Nemchunpra, P.S. -
Haldi, Distt - Ballia,
U.P.

IPONO! - 17F-669034